

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनबाग सरकार बंगल... गुडडी डेवा ... वनाओ भूपकश</p>	<p>नं. दर अहम हुक्म में ज...</p>
<p>13/20 29/1/20</p>	<p>मुकदमा नं० 1.7.1.1.9..... निर्णय दि० 29-1-20</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित/वादी और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता है अतः साक्ष्यवादी बन्ध रुक बंधन में निहत किया गया वकील वादी को एक पक्षीय बंधन लुनी गई। वास्तु निर्णय 29/1/20 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली वाले निर्णय पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को एक पक्षीय बंधन लुनी गई। पत्रावली को अवलोकन किया व बंधन का मन्तव्य किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दावा वादी स्वारीज किया जाना उचित जतित होता है। वादी जग द्वारा उद्घोषण का डाका किया जा कर मृतक स्वतंत्र दारी कि विरासत एवम् राजस्व रीफाई के दर्ज करवाले सम्बन्धीत हैं। निर्णय नुसार विरासत नामांकन करण द्वारा दर्ज कि जाते गी। जिसके लिए श्रवण की आवश्यकता नहीं है। अतः दावा वादी स्वारीज किया जाता है। 2 वादी जग सक्षम प्रतीकारों के पाल प्रार्थना पेश कर विरासत दर्ज करवाले के लिए स्वतंत्र है।</p> <p>पत्रावली फल सारा हो कर नामांकन के रूप में निजिध में दारी भिखाया जा कर स्वतंत्र न्यायालय में भिजाया गया।</p>	

29/1/2020
 उपसंख अधिकारी
 चिकराय जिला-बंगल